क्रम-संख्या–70

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–

डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार 15 मई, 2020

वैशाख 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 04 / 2020 / 470 / 80–1–2020– 600(22)-2020टी०सी०–।।

लखनऊ, 15 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०–75

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी;

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 130 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 130 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिनियम की धारा 5 अथवा धारा 8 के अधीन सभी आपत्तियाँ, ऐसी आपत्तियाँ आमंत्रित करने की विज्ञप्ति के सरकारी गजट	अधिनियम की धारा 5 अथवा धारा 8 के अधीन सभी आपत्तियाँ, ऐसी आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने की अधिसूचना के सरकारी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मे प्रकाशन की दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी और निदेशक को सम्बन्धित की जायेगी, जो उन्हें अपनी आलोचना के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।	गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी और निदेशक को सम्बन्धित की जायेंगी, जो उन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा : प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की 30 दिन की अवधि में शिथिलता प्रदान कर सकती है।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2020/470/LXXX-1-2020-600(22)-2020 T.C.II, dated May 15, 2020 :

No. 04/2020/470 /LXXX-1-2020-600(22)-2020 T.C.II

Dated Lucknow, May 15, 2020

IN exercise of the powers under section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no XXV of 1964), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh general clauses Act, 1904 (U.P.Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (TEISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Teiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 130

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niymawali, 1965 *for* rule 130 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	Rule as hereby substituted
All objections under Section 5 or Section 8 of the Act, shall be preferred within a period of thirty days from the date of publication of notification in the Official *Gazette* inviting such objections and shall be addressed to the Director who shall forward the same with his comments to the State Government.	All objections under Section 5 or Section 8 of the Act, shall be preferred within a period of thirty days from the date of publication of notification in the Official *Gazette* inviting such objections and shall be addressed to the Director who shall forward the same with his comments to the State Government : Provided that the State Government may, in special circumstances, relax the period of preferring objections to any period less than 30 days.

By order,

Dr. DEVESH CHATURVEDI,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 22 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(32)–599+50 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।